फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर (ग्रामीण)।

केस संख्या :– 947/2024

प्रभु बनाम सरकार

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	12.11.2024	प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा0टे0 एक्ट बाबत् का पेश किया है। प्रार्थी विवादित भूमि खाता संख्या नया 43 पुराना 40 के खसरा नंबर 231, 236, 237, 238, 239, 240, 271, 275 कुल किता 08 कुल रकबा 3.82 है0 वाके ग्राम अचलपुरा पटवार हल्का नरपतपुराउर्फहरिपुरा तहसील कोटखावदा मे प्रार्थी व अन्य सहखातेदारों के रिकोर्डेड काबिज काश्तकार होना बताया है। रिकार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम सुज्या दर्ज होना बताया है जबकि उनके वास्तविक नाम सूजाराम दर्ज होना बताया है। अतः प्रार्थी के दस्तावेजों के आधार पर यह स्वीकार किया जाता है कि प्रार्थीगणो के दुलीचन्द पुत्र सुज्या, प्रभु पुत्र सुज्या, शंकर पुत्र सुज्या के स्थान पर प्राथीगणों के पिता का नाम सुज्या उर्फ सूजाराम किया जाना उचित समझते है। अतः प्रार्थीगणों के पिता का नाम सुज्या उर्फ सूजाराम विवादित भूमि के राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावें। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी चाकसू(जयपुर)	